राजस्थान सरकार
गृह (मुख्य सतर्कता आयुक्त) विभाग

क्रमांक प.4(2)सी.वी.सी. / 2000 जयपुर, दिनांक 14.06.2005

समस्त प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासनसचिव,
समस्त मुख्य सतर्कता अधिकारी।

विषय :– लोक सेवक के विरूद्ध ए.सी.बी. प्रकरणों में धारा 19 पी. सी. एक्ट की कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, यातायात एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.05 को मुख्य सतर्कता अधिकारियों की हुई बैठक हुई। इसमें निम्न बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति के लिये विभागाध्यक्ष / नियुक्ति अधिकारी के पास जो प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भेजे जाते है उनमें सक्षम अधिकारी (आवश्यक हो तो) विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त करें।
2. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया है कि अभियोजन स्वीकृति के मामलों में सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारी एवं आरोपित कर्मचारी को एक ही समय व्यक्तिगत सुनवाई में बुलवाया जाता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी एवं आरोपित में वाद–विवाद एवं द्वेष भावना होती है। इससे बचने के लिये उचित होगा कि सक्षम अधिकारी पहले आरोपित को अलग समय में सुने और तत्पश्चात अनुसंधान अधिकारी को सुने, जिससे अनुसंधान अधिकारी तथ्यों की जानकारी दे सकें।

भवदीय,

एस.डी.
उप शासन सचिव,
गृह (सतर्कता) विभाग